रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082025-265274 CG-DL-E-07082025-265274

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3521]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2025/श्रावण 15, 1947

No. 3521]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2025/SHRAVANA 15, 1947

## इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

का.आ. 3607(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी ई-मार्केटप्लेस प्लेटफ़ॉर्म से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों, जो सरकारी ई-मार्केटप्लेस की नाजुक सूचना अवसंरचना है, और उनकी सहयुक्त आश्रितताओं के कंप्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा संरक्षित प्रणाली घोषित करती है और संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

- (क) संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए, सरकारी ई-मार्केटप्लेस द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत सरकारी ई-मार्केटप्लेस प्लेटफ़ॉर्म का कोई अभिहित कर्मचारी;
- (ख) संविदात्मक प्रबंधित सेवा-प्रदाता या तृतीय पक्षकार विक्रेता के दल का कोई सदस्य जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुँच बनाने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है; और
- (ग) मामला दर मामला के आधार पर, सरकारी ई-मार्केट प्लेस द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी पदाधिकारी, संपरीक्षक और पणधारी।
- 2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एए-14/2/2025-सीएसडी] सविता उत्तरेजा, वैज्ञानिक जी

5249 GI/2025 (1)

# MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2025

- **S.O.** 3607(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Government e Marketplace Platform, being Critical Information Infrastructure of the Government e Marketplace, and the computer resources of their associated dependencies, to be protected systems for the purposes of the said Act and authorises the following personnel to access the protected systems, namely:—
  - (a) any designated employee of the Government e Marketplace Platform, authorised in writing by the Government e Marketplace to access the protected system;
  - (b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor, who have been authorised in writing by the Government e Marketplace for need-based access; and
  - (c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder, authorised in writing by the Government e Marketplace on case to case basis.
- 2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. AA-14/2/2025-CSD]

SAVITA UTREJA, Scientist G